17.03.20. पत्रावली आज पेश हुई। रेस्पो० नं. 01 अनुपस्थित। रेस्पो० नं. 01 को कोर्ट समन अलावा बारलीया तीन आवाजें दिलाई गई बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से रेस्पो० नं. 01 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। रेस्पो० नं. 02 की ओर से नायब तहसीलदार सियाना उपस्थित। रेस्पो० नं. 03 की ओर से वकील कपिल खोखावत उपस्थित। रेस्पो० नं. 03 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पो० 3 द्वारा अपने हिस्से की भूमि के 1/3 हिस्सा की भूमि अपीलान्टगण को बेचान की गई है यदि अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 20/03/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सियाना (जालोर)

20/03/20 - पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय सुनाकर होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सियाना (जालोर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 03/19

अपीलान्टगण

1. डूंगरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी रमणिया
2. धापूकंवर पत्नी डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी रमणिया
3. पारसमल पुत्र गिसराजी जाति राजपुरोहित निवासी रमणिया
4. लीलादेवी पत्नी पारसमल जाति राजपुरोहित निवासी रमणिया
   तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत रमणिया
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर
3. भोलाराम पुत्र भगाराम जाति देवासी निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

<u>प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1917 दिनांक 24.10.2019 जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत रमणिया के द्वारा, बैठक दिनांक 06.12.2019 के प्रस्ताव संख्या 7 के अनुसार अस्वीकृत किया गया, होना हल्का पटवारी रमणियां द्वारा बताया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलाण्टगण, निम्नविधिक आधारों पर, अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956 के तहत, अपील श्री न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं।</u>

उपस्थित :–

1. श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण संख्या 03

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 20/03/20

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण 1 ता 4 के द्वारा विकता (रेस्पोडेण्ट संख्या 3) से उसके खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 717 रकबा 10–15 बीघा में से 2/3 हिस्सा रकबा 6–10 बीघा सरहद मौजा रमणियां में जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 03.05.2019 को बएवज प्रतिफल रूपये 2,00,000/– में खरीद किया गया तथा माफिक विकय विलेख उक्त भूमि का खरीद किया हिस्सा का कब्जा विकता के द्वारा उसी दिन दिनांक 03.05.2019 को अपीलाण्टगण (केतागण) को सुपुर्द कर दिया गया। वक्त खरीद से कब्जा अपीलाण्टगण का ही है। अपीलाण्टगण द्वारा असल विकय विलेख व उनकी फोटो प्रतियां हल्का पटवारी रमणिया को दिनांक 14.05.2019 को प्रस्तुत कर माफिक बेचान दस्ताबेज नामान्तरणकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। दिनांक 30.05.2019 तक नामान्तरणकरण दर्ज नहीं करने पर तहसीलदार सिवाना को उक्त नामान्तरणकरण किये जाने हेतु आवेदन किया गया, तहसीलदार सिवाना द्वारा उसी दिन यह आदेश किया कि "मूल आवेदन मय संलग्न विकय विलेख की प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में किसी न्यायालय का अन्यथा स्थगन आदेश न हो तो नियमानुसार नामान्तरणकरण कार्यवाही कर पालना से सात योम में अवगत करावें" उक्त आदेश की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हल्का पटवारी रमणिया को उसी दिन दी गई जिस पर भी पटवारी द्वारा नामान्तरणकरण नहीं करने पर पुनः दिनांक 12.06.2019 को तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर हल्का पटवारी को आदेश दिये कि यदि न्यायालय से स्थगन न हो तो नामान्तरकरण दर्ज करो। परन्तु हल्का पटवारी रोड़ा अटकाने लगे। तथा हल्का पटवारी रमणिया द्वारा द्वेष भावना से ग्रसित होकर उक्त नामान्तरकरण दिनांक 06.12.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत रमणियां के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तथा उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध रूप से यह लिखते हुए अस्वीकार किया गया कि "ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.12.2019 प्रस्ताव संख्या 7 के अनुसार मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने एवं मौके पर केता के कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तरकरण निरस्त किया गया.....हस्ताक्षर ग्राम पंचायत रमणिया". .....हस्ताक्षर करने की तारीख सरपंच द्वारा लिखी नहीं गई।"

ग्राम पंचायत रमणियां के वार्डपंचान एवं सरपंच स्वयं के द्वारा यह लिख कर दिया गया कि सरपंच रमणिया ने दिनांक 20.11.2019 और 06.12.2019 को कोई मीटिंग नहीं ली और वार्डपंचों को खसरा नम्बर 717 का नामान्तरकरण नहीं बताया तथा ना ही इसे खारिज करने का ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया। सरपंच ने ऐसा लिखा है तो अपनी मर्जी से लिखा है, जबकि मौके पर भोलाराम, डूंगरसिंह, पारसमल वगैरा का कब्जा है। फसल भी इनकी बोई हुई थी। मौके पर कब्जा खरीद से प्रार्थीगण डूंगरसिंह वगैरा का है तथा इनका नामान्तरकरण किया जाने पर वार्डपंचों को कोई ऐतराज नहीं है, सरपंच ने नामान्तरकण अस्वीकार किया है तो दुषित मंशा से किया है। उक्त अपील मंजूर फरमाई जाकर अपीलाण्टगण द्वारा खरीद सुदा भूमि सरहद मौजा रमणियां के खसरा नम्बर 717 रकबा 10–15 बीघा का 2/3 हिस्सा रकबा 6–10 बीघा का नामान्तरकरण खरीददार अपीलाण्टगण के नाम स्वीकृत करने हेतु राजस्व अधिकारी व कर्मचारी को आदेश फरमाने व माफिक नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में आवश्यक प्रविष्टि के आदेश करने व दिनांक 06.12.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत रमणियां द्वारा किया प्रश्नगत नामान्तरणकरण अस्वीकृति आदेश अपास्त निरस्त करने हेतु उक्त अपील लाना आवश्यक होने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दिनांक 26.12.2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण संख्या 03 की ओर से वकील कपिल श्रीमाली द्वारा बकालातनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्टगण को रेस्पोटेण्टगण संख्या 3 द्वारा 2/3 हिस्सा का बेचान किया है माफिक बेचान दस्तावेज अपीलाण्टगण के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोण्टगण संख्या 2 की ओर से राजकीय पैराकार नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वक्त बहस प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 व

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

135 के तहत नामान्तरकरण प्रकिया हेतु यह व्यवस्था सुस्पष्ट रूप से दी गई है कि आसामी के द्वारा उसके नाम से नामान्तरकरण दर्ज हेतु किये गये आवेदन की दिनांक के 45 दिन की सीमा तक नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष व उक्त समायवधि समाप्ति के बाद ऐसा नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होगा। यह भी व्यवस्था दी गई है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में विक्रेता द्वारा कब्जा खरीददार को सुपुर्द किये जाने की उपधारणा मानी जायेगी। इसी प्रकार अपीलाण्टगण द्वारा उक्त भूमि दिनांक 03.05.2019 को विक्रेता रेस्पोण्टगण संख्या 3 भोलाराम से क्रय की गई तथा इसका नामान्तरकरण हेतु अपीलाण्टगण द्वारा मूल विक्रय विलेख व उनकी प्रतियां हल्का पटवारी रमणिया को दिनांक 14.05.2019 को सुपुर्द की गई। इस प्रकार विधि में दी गई व्यवस्था अनुसार 45 दिवस की समयावधि दिनांक 29.06.2019 को पूर्ण हो चुकी थी, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरणकरण स्वीकृति हेतु तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। जो नियम विधि विरूद्ध दिनांक 06.12.2019 को अर्थात सरपंच स्तर की म्याद गुजरने के बावजूद सरपंच रमणिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे किसी न्यायालय में इस भूमि के सम्बन्ध में स्थगन नही होते हुए भी सरपंच रमणिया द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार उक्त नामान्तरणकरण अस्वीकृत आदेश किया जाना प्रथम दृष्ट्या ही अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। हांलांकि अपीलाण्टगण द्वारा अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है, फिर भी अपीलाण्टगण द्वारा विलम्ब के क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर ग्राम रमणिया के नामान्तरकरण संख्या 1917/24.10.2019 पर ग्राम पंचायत के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड में नामान्तरणकरण पारित होने से पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि धारक तहसीलदार सिवाना को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो नियमानुसार माफिक बेचान दस्तावेज अपीलाण्टगण के पक्ष में तत्काल नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित कराते हुए पारित नामान्तरणकरण की प्रति 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 20/03/20 को सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना